



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट - ए संख्या - 5458 / 2026

मंगरा देवी

.... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, कृषि विपणन

विदेश व्यापार अनुभाग 1 लखनऊ के माध्यम से और 2 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता	: अखिलेश प्रताप सिंह, कुशाग्र कनोडिया
प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता	: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, सुरेंद्र कुमार सिंह

न्यायालय सं. - 15

माननीय न्यायमूर्ति बृज राज सिंह

1. प्रतिवादी/विरोधी पक्ष संख्या 2 और 3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सैयद शबाब हैदर जैदी द्वारा आज दाखिल वकालतनामा अभिलेख पर लिया गया।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान स्थायी अधिवक्ता और प्रतिवादी/विरोधी पक्ष संख्या 2 और 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री सैयद शबाब हैदर जैदी को सुना गया।
3. इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित अनुतोष की मांग की है :-
“इसलिए, बहुत सम्मानपूर्वक प्रार्थना है कि यह माननीय न्यायालय कृपापूर्वक निम्नलिखित कार्य करने की कृपा करे:-
(i) परमादेश प्रकृति की एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करे, जिसमें प्रतिवादियों विशेषकर प्रतिवादी संख्या 2 को यह आदेश दिया जाए कि वे ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रिट संख्या 24841/2016 कृषि उत्पादन मंडी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

समिति और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता की प्रारम्भिक नियुक्ति की तिथि से लेकर सेवानिवृत्ति की तिथि तक की लगातार सेवा की पूरी अवधि को विधिवत जोड़कर, ग्रेच्युटी की पूरी और सही राशि का तुरंत हिसाब करें और याचिकाकर्ता को जारी करें।

(ii) परमादेश प्रकृति की एक और रिट, आदेश या निर्देश जारी करे, जिसमें प्रतिवादियों को यह आदेश दिया जाए कि वे गलत तरीके से रोकी गई/विलम्ब से दी गई ग्रेच्युटी पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972' की धारा 7(3ए) के अनुसार और इस माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 21.01.2026 को रिट-ए संख्या 541/2026 (राकेश चंद्र पाठक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता को वैधानिक ब्याज का भुगतान करें।”

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि याचिकाकर्ता सक्षम अधिकारी को एक नया अभ्यावेदन देने के लिए तैयार है। इसलिए, उन्हें विरोधी पक्ष संख्या 2, अर्थात् निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद, उत्तर प्रदेश किसान मंडी भवन, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ को नया अभ्यावेदन देने की अनुमति दी जाए और उन्हें याचिकाकर्ता के उस अभ्यावेदन पर जल्द से जल्द विचार करके निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए।

5. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि उक्त अभ्यावेदन के निपटारे के लिए निर्देश जारी किया जाए।

6. तदनुसार, उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, मामले के गुण-दोष पर जाए बिना, मैं इस याचिका को प्रवेश स्तर के चरण में ही अंतिम रूप से **निस्तारित** करता हूँ। याचिकाकर्ता को विरोधी पक्ष संख्या 2, अर्थात् निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद, उत्तर प्रदेश किसान मंडी भवन, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ को नया अभ्यावेदन देने की छूट दी जाती है। इसमें वह अपनी शिकायत और सभी उपलब्ध तर्क और आधार बता सकती हैं और साथ ही अपने पिछले अभ्यावेदन की प्रति यदि कोई हो, भी लगा सकती हैं, जो आवेदन के निपटारे के लिए आवश्यक हों। यह अभ्यावेदन आज से पंद्रह दिनों के भीतर दिया जाना चाहिए। यदि याचिकाकर्ता निर्धारित समय के भीतर ऐसा आवेदन देती है, तो

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संबंधित अधिकारी विधि के अनुसार, याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के बाद, यदि आवश्यक हो, एक स्पष्ट और तर्कपूर्ण आदेश के माध्यम से उस पर विचार करेगा और उसका निपटारा करेगा। यह काम जल्द से जल्द, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने की तिथि से दो महीने के भीतर किया जाना चाहिए और निर्णय की जानकारी तत्काल याचिकाकर्ता को दी जानी चाहिए।

7. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि कोई वैधानिक बाधा नहीं है, तो ग्रेच्युटी का भुगतान याचिकाकर्ता को निर्धारित समय के भीतर किया जाएगा; ऐसा न होने पर याचिकाकर्ता विलम्ब से हुए भुगतान पर ब्याज पाने की हकदार होगी। हालाँकि, यदि ग्रेच्युटी के भुगतान में विलम्ब होता है, तो ब्याज के लिए याचिकाकर्ता के दावे पर वैधानिक प्रावधानों के आलोक में भी विचार किया जा सकता है।

(न्यायमूर्ति बृज राज सिंह)

8 जून, 2026

रेनू/-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।